IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

73वाँ संवैधानिक संशोधन

श्रीमती नीलम
सहायक प्राध्यापिका
राजनीति विज्ञान विभाग
हिन्दू कन्या महाविद्यालय
जीन्द (हरियाणा)

शोध आलेख सार:–

भारत के लिए गाँव आर्थिक समृद्धि का प्रतीक हैं। सविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज का वर्णन किया गया हैं। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी आत्मा के रूप में गाँव की प्रगति हो। 'बलवन्त राय मेहता समिति' की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय योजना में पंचायत समिति सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था थी। 73वें संवैधानिक संशोधन में तीन–स्तरीय प्रणाली का वर्णन किया गया है। इसमें पहला स्तर ग्राम हैं जिसमें ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। दूसरा स्तर ब्लॉक है जिसमें पंचायत समिति होती है तथा तीसरा स्तर जिला है जिसमें जिला परिषद् की स्थापना की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संवैधानिक संशोधन में लोगों की भलाई के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। इसमें स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, पंचायतों का चुनाव, सदस्यों की प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव, स्थानों का आरक्षण, अवधि आदि का वर्णन किया गया और इसे सफल बनाने के लिए समय–समय पर ठोस कदम उठाए गए है।

मुख्य शब्द:–

73वाँ संवैधानिक संशोधन, पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज, आरक्षण, पंचायत समिति, जिला–परिषद्, ग्राम पंचायत।

प्रस्तावना:–

वर्तमान युग प्रजातन्त्र का युग है और प्रजातन्त्र को सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप माना जाता है। सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए आवश्यक है कि गाँवों, कस्बों, नगरों और जिलों में प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना की जाए। भारत में प्रजातन्त्र के सच्चे स्वरूप को अपनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 'पंचायती राज' की स्थापना की गई है। जो वास्तव में लोगो को अपने कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के अवसर देता है। आचार्य कौटिल्य ने मौर्यकाल में पंचायत का वर्णन करते हुए इसे गणराज्य का प्रतीक माना है। 1882 में लॉर्ड रिपन के स्थानीय शासन को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्ड स्थापित करने की बात की गई। 1920 में गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन में ग्रामीण जन साधारण को जागृत करने पर बल दिया। गाँधी जी ग्राम पंचायतों को स्वराज्य की आधारभूत इकाई बनाना चाहते थे।

परिभाषाः–

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसारः– पंचायती राज का भावार्थ है, विकेन्द्रित प्रजातंत्र, प्रत्याधिकृत प्रजातंत्र, स्थानीय स्व–शासन और यहाँ तक कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

73वाँ संवैधानिक संशोधन कानूनः–

पंचायती राज प्रणाली में सुधार लाने के लिए सितम्बर, 1991 में लोकसभा में 72वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इस विधेयक का सम्बन्ध भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करना था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए 30 सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के थे। लोकसभा के वरिष्ठ नेता नाथू राम मिर्धा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1992 में संसद के सामने पेश की। इस समिति की सिफारिशों का जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, 22 दिसम्बर को लोकसभा ने और 23 दिसम्बर को राज्य सभा ने स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर इस संवैधानिक संशोधन का नम्बर 73वाँ हो गया क्योंकि इससे पहले 72 संशोधन हो चुके थे। इस संवैधानिक संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसमें यह व्यवस्था कि गई सभी राज्य 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज की नई व्यवस्था के लिए नए कानून का निर्माण करेगें।

इस तरह भारत में पंचायती राज अपना व्यवहारिक रूप ले पाया और गाँधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार रूप देने का प्रयास किया जिसमें वे मानते थे कि "ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि यह एक ऐसा सम्पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरुरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर भी निर्भर नही रहेगा।"

पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँः–

1. स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यताः–

73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके लिए संविधान में भाग 9 और 11वी अनुसूचि शामिल करके पंचायजी राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

2. ग्राम सभा की परिभाषाः–

इसके अनुसार एक पंचायत के क्षेत्र में आए गाँवों के जिन लोगों के नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज हैं– वे सभी लोग सामूहिक रूप से ग्राम सभा का निर्माण करेंगें। ग्राम सभा गाँव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर निश्चित करेगी।

3. तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाः–

73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य में पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद् की व्यवस्था की गई है।

4. पंचायतों की रचनाः–

73वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई हैं कि प्रत्येक राज्य का विधानमण्डल, प्रत्येक स्तर की पंचायत की रचना संबंधी व्यवस्था स्वयं करेगा।

5. सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव:–

पंचायती राज की नई प्रणाली के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा और इन चुनाव क्षेत्रों से पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगो द्वारा किया जाएगा।

6. पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी मे:–

प्रत्येक्ष राज्य में होने वाले पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी निर्देशन व नियंत्रण में होगें। चुनाव आयोग पंचायती राज के चुनावों से संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावों की तिथि तय करता है। नामांकन पत्रों की जांच–पड़ताल करता है, चुनाव चिन्ह जारी करता है और निष्पक्ष व स्वतन्त्र चुनाव करवाने की व्यवस्था करता है।

7. संसद और विधानमंडल के सदस्यों को प्रतिनिधित्व:–

73वें संवैधानिक संषोधन में पंचायती समिति और जिला परिषद् के चुनाव क्षेत्र में आने वाले लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। राज्य सभा और विधानपरिषद् के सदस्य जिनका नाम पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूचियों में शामिल हो। इन सदस्यों को पंचायत समिति और जिला परिषद् को बैठकों में वोट देने का अधिकार दिया गया हैं।

8. पंचायतो के अध्यक्षों का चुनाव:–

73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाने की व्यवस्था की गई है।

9. पंचायतों के अध्यक्ष को पद से हटाना:–

पंचायत के अध्यक्ष को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको पद से हटाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए यह जरुरी है कि पंचायत अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत के साथ अध्यक्ष को हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव पास करे। जब पंचायत का ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा को प्राप्त होगा तो 15 दिन की पूर्व सूचना दिये जाने के बाद में ग्राम सभा उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी एक विषेश बैठक बुलाएगी जिसमें ग्राम सभा में 50 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। इस बैठक में यदि पंचायत के अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए तो प्रधान को पद से अलग कर दिया जाता हैं।

10. पंचायत समिति और जिला परिषद् के प्रधानों का चुनाव और उन्हें पद से हटाने की विधि:–

इसमें मध्य स्तरीय और जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव सम्बन्धित चुनाव क्षेत्र में से निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाएगा। सम्बन्धित पंचायत के चुने हुए सदस्य उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जो कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए, के साथ प्रस्ताव पास करके अपने अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं।

11. स्थानों का आरक्षण:–

73वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित वर्गों के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं:–

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत में स्थान आरक्षित किए जाएगें।
2. आरक्षित स्थानों के चुनाव क्षेत्रों में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा।

3. प्रत्येक पंचायत में चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थान में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें।
4. पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

12. पंचायतों की अवधि:–

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यह कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक की तिथि से आरंभ होगा। किसी भी स्तर की पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।

13. कर लगाने की शक्ति एवं पंचायत फंड:–

1. संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा राज्य विधानमण्डल को कानून द्वारा पंचायतों को कर लगाने और उसकी वसूली का अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की गई हैं।
2. पंचायतों द्वारा प्राप्त होने वाली धन राशि के लिए फंडों की व्यवस्था तथा फंडों में से निकाले जाने वाली राशि को उपलब्ध राज्य विधानमण्डल कर सकता हैं।

14. पंचायतों के चुनावों से संबंधित विषय न्यायालयों के हस्तक्षेप से मुक्त:–

संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि पंचायतों के चुनाव क्षेत्रों को निश्चित करने वाले किसी कानून को किसी न्यायालय मं चुनौती नहीं दी जा सकती।

15. वित्त आयोग का निर्माण:–

73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यह की गई है कि इस संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य या राज्यपाल एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा जो निम्न विषयों पर राज्यपाल को अपनी सिफारिश करेगा।

1. पंचायतों की वित्त स्थिति संबंधी विचार करना।
2. ऐसे करों, शुल्कों तथा फीसों को दर्शाना जो पंचायती को प्रदान किए जा सकें।
3. राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान।

निष्कर्ष:–

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम इस कारण से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि इसके अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें कर लगाने की शक्ति देना तथा वित्तीय आयोग की स्थापना करना भी पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने के महत्त्वपूर्ण कदम हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन एक्ट के अन्तर्गत व्यवस्था की गई नई पंचायती राज व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत और प्रभावशाली हैं। नई पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न स्तर पर लोगों को अपने विकास के मामलों में हिस्सेदारी को स्वस्थ बनाना, अपने गावों के विकास के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करना और उन्हें लागू करना हैं। यह नई पंचायती राज व्यवस्था कितनी सफल हागी उसका फैसला नई पंचायती राज व्यवस्था के असली प्रयोग पर निर्भर करता हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूचिः–

1. हरियाणा में पंचायती राज वैधानिक व प्रशासनिक ढांचा (शमशेर सिंह मलिक)
2. लोक प्रशासन (डॉ. बी. एल. फाड़िया)
3. भारतीय संविधान (डॉ. गुलशन राय)
4. पंचायती राज और लोकतंत्र (बलवंत राय मेहता)
5. प्रतियोगिता दर्पण
6. दैनिक भास्कर
7. पंचायती राज (प्रताप चंद्र स्वैन)